

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी (म.प्र.)

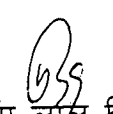
//आदेश//

क्रमांक 362 /तीन-09-01/96

सीधी, दिनांक 15 मई, 2025

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए स्थापना के अनुभागों का कार्य सुचारु रूप से संचालन करने हेतु कार्यालय आदेश क्र 270 सीधी, दिनांक 12.04.2025 एवं कार्यालय आदेश क्र 272 सीधी, दिनांक 12.04.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित अनुभाग के प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए डिजिटাইजेशन/कम्प्यूटराईजेशन कमेटी का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

क्र०	अनुभाग का नाम	प्रभारी अधिकारी का नाम/पदनाम	
01	कम्प्यूटर/तलवाना अनुभाग, सीधी	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	प्रथम
		श्री मृदुल लटौरिया, तृतीय व्यव. न्यायाधीश कनि. खण्ड, सीधी	द्वितीय
		श्री अभिषेक साहू, चतुर्थ व्यव. न्यायाधीश कनि. खण्ड, सीधी	तृतीय
क्र०	समिति का नाम	समिति का कार्य एवं प्रकृति	अध्यक्ष एवं सदस्यगण के नाम
01	डिजिटাইजेशन/कम्प्यूटराईजेशन कमेटी	जिला/तहसील न्यायालयों एवं अनुभागों के कम्प्यूटराईजेशन तथा सॉफ्टवेयर के सुचारु रूप से कार्य संचालन एवं अभिलेखागार में संस्थित निराकृत अभिलेखों/प्रकरणों के डिजिटल स्कैनिंग का कार्य।	अध्यक्ष- श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी सदस्यगण- 01. सुश्री सुनीता रावत, तृतीय व्यव. न्यायाधीश वरि. खण्ड, सीधी 02. श्री कपिल देव काछी, द्वितीय व्यव. न्यायाधीश कनि. खण्ड, सीधी 03. श्री राम किशोर मिश्रा, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, सीधी


 (प्रयाग लाल दिनकर)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 सीधी (म.प्र.)

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1745/तीन-09-01/96

सीधी, दिनांक 16 मई 2025

प्रतिलिपि:-

01. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी
02. श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी
03. सुश्री सुनीता रावत, तृतीय व्यव. न्यायाधीश वरि. खण्ड, सीधी
04. श्री अभिषेक साहू, चतुर्थ व्यव. न्यायाधीश कनि. खण्ड, सीधी
05. श्री कपिल देव काछी, द्वितीय व्यव. न्यायाधीश कनि. खण्ड, सीधी
06. श्री मृदुल लटौरिया, तृतीय व्यव. न्यायाधीश कनि. खण्ड, सीधी
07. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/तलवाना/अभिलेखागार अनुभाग, सीधी
08. श्री राम किशोर मिश्रा, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, सीधी
09. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्या-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म0प्र0)